

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0006**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

27/05/2025 18:45 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Tuesday**Date from (दिनांक से):**

27/05/2025

Date To (दिनांक तक):

27/05/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar

1

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):****Date (दिनांक):**

27/05/2025

Time (समय): 18:08

hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013**Date and Time (दिनांक और समय):**27/05/2025 18:08
hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 2 **Beat No. (बीट सं.):**
Km(s)(b) **Address (पता):** हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर-6 पंचकुला(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**(a) **Name (नाम):** श्री हरपाल सिंह(b) **Father's Name (पिताका नाम):** स्वं काका सिंह(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1995(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सकेतड़ी, MANSA DEVI COMPLEX, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सकेतड़ी, MANSA DEVI COMPLEX, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8284968397

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेश कुमार पटवारी			1. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर-6 पंचकुला, SECTOR-7, PANCHKULA, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है
सेवा में.

इन्सपेक्टर, एन्टी करप्शन ब्यूरो,
पंचकुला ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं हरपाल सिंह पुत्र स्व. काका सिंह गांव सकेतडी जिला पंचकूला का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की भूमि लगभग वर्ष 2003 के आसपास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इक्वायर की गई थी। जिसमें हमारे परिवार की भूमि भी इक्वायर हुई थी जिसका हमारे को उपरोक्त भूमि के सम्बंध में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से 374 रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया था। जो मुआवजा कम मिलने के कारण हम सब ने मिलकर उपरोक्त मुआवजा कम मिलने बारे व मुआवजे की राशि बढ़ाने बारे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका RFA-616/22 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि 374 रु० प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 498 रु० प्रति वर्ग गज कर दी थी। जो हमारी भूमि थी वह मुस्तरका खाते की थी और मेरे व मेरे चाचा ताउ व उनके लड़को वगैरा सहित 5 सदस्यों के नाम है। जो विभाग द्वारा हमें बढ़ी हुई मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिस पर मैंने भूमि अर्जन अधिकारी शहरी सम्पदा विभाग पंचकूला को LAC नं० 9/15 व RFA no. 616/22 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए दिनांक 25.11.2024 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। जो उपरोक्त मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। उपरोक्त बढ़े हुए मुआवजे की राशि न मिलने के कारण मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर सी.ए. ब्रांच में मिला था जहां पर उन्होंने मेरे को बताया कि हमने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सुरेश पटवारी से आपको भुगतान करने के सम्बंध में रिपोर्ट मांग रखी है जो पटवारी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है जैसे ही वह रिपोर्ट देगा हम आपके राशि का भुगतान कर देंगे। जिस पर मैं सुरेश कुमार पटवारी को मिला और पटवारी ने कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार करके दे दूंगा जिस बारे में सुरेश पटवारी को मैं कई बार मिला व मोबाईल फोन के माध्यम से भी उससे सम्पर्क किया लेकिन उसने आज तक रिपोर्ट तैयार करके सी.ए. ब्रांच में नहीं दी। आज दिनांक 27.05.2025 को भी सुबह करीब 10/10.30 बजे मैंने सुरेश कुमार पटवारी को फोन किया तो उसने मुझे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में बनी कैटीन में बुलाया व वह वहां पर मुझे मिला और हमने बैठ कर बातचीत की। पटवारी सुरेश ने पूछा कि तुम्हारे कितने हिस्सेदारों के पैसे का भुगतान होना है तो मैंने उसे बताया कि हम पांच हिस्सेदार हैं जिस पर उसने रिश्त के तौर पर पांच-पांच हजार रु० की मांग की। जिस पर मैंने कहा कि हर एक हिस्सेदार के पांच-पांच हजार रु० ये तो 25 हजार रु० हुए जोकि बहुत ज्यादा है। मैंने उसे कहा कि आप 3-4 हजार रु० प्रति हिस्सेदार के हिसाब ले लो। जिस पर अंत में सुरेश पटवारी ने कहा कि तू 20 हजार आज ही लेकर मेरे को ला के दे दो मैं रिपोर्ट तैयार करके ब्रांच में दे दूंगा और तुम्हारे पैसे का भुगतान हो जायेगा। जो सुरेश कुमार पटवारी ने रिश्त की राशि 20 हजार रु० लेकर आज मुझे बुलाया है जो मैं रिश्त के तौर पर 20 हजार रु० सुरेश कुमार पटवारी को नहीं देना चाहता और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। मैंने सुरेश कुमार पटवारी की रिश्त मांगने सम्बन्धी रिकार्डिंग की हुई है जो मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। मैं 500/500 रूपए के 40 नोट कुल 20000 रूपए लेकर आया हूँ। जो सुरेश कुमार पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जावे।

SD Harpal Singh S/o

काका सिंह

गांव सकेतडी पंचकुला

8284968397

27/05/25

कार्यवाही पुलिस: आज दिनांक 27.5.2025 को मन निरीक्षक हाजिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय हाजिर हूँ कि शिकायतकर्ता श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. काका सिंह गांव सकेतडी जिला पंचकूला ने हाजिर मुख्यालय आकर एक टाईपशुदा दरखास्त बरखिलाफ सुरेश पटवारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला पेश की व शिकायत के साथ बतौर दिए जाने वाले 500-500 के 40 नोट कुल 20000 रु० भी पेश किए। जो दरखास्त में उसने सुरेश कुमार पटवारी द्वारा मुआवजे की राशि के भुगतान से सम्बन्धित रिपोर्ट सी०ए० ब्रांच में देने की एवज में 20000 रु० बतौर रिश्त राशि मांगने बारे जिक्र किया है। जिस बारे में उच्च अधिकारियों से विचारविमर्श किया गया व फोन पर सम्पर्क करके श्री नीतीश सिंगला, डी०एफ०एस०सी० पंचकूला को हाजिर आने पर राजपत्रित अधिकारी / स्वतंत्र गवाह नियुक्त करवाया गया और आदेश प्राप्त किये गये। जो श्री नीतीश सिंगला अपने साथ अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी को बतौर छायागवाह साथ लेकर आने बारे प्रार्थना की गई। श्री नीतीश सिंगला अपने साथ निरीक्षक सुनील कुमार, कार्यालय

डी०एफ०एस०सी० सै० 2 पंचकूला को साथ लेकर मुख्यालय हाजिर आये जिसको बतौर छाया गवाह नियुक्त किया गया । रेडिंग किट व पार्टी तैयार की गई जिसमें निरीक्षक राकेश कुमार नं० 26/सी०पी०, स०उप०नि० लाभ सिंह पं० 63/पंचकूला, स०उप०नि० अंशु कुमार नं० 714/पंचकूला, स०उप०नि० जसवीर सिंह नं० 1868/फरीदाबाद, स०उप०नि० हरिन्द्र सिंह नं० 519/यमुनानगर, ई०एच०सी० बलविन्द्र सिंह नं० 851/कुरुक्षेत्र व सिपाही राजन कुमार, नं० 2757/ गुरुग्राम है । शिकायतकर्ता द्वारा अपनी दरखास्त को पढ़कर स्वतंत्र गवाह के सामने सुनाया गया व जो स्वतंत्र गवाह के सामने शिकायतकर्ता व रिश्तत राशि 20 हजार रू० पेश की गई राजपत्रित गवाह द्वारा उपरोक्त करेन्सी नोटों को पहले से तैयार शुदा सूचि करेन्सी नोट से मिलान करने उपरांत सीन एण्ड वैरिफाई करने उपरांत अपने हस्ताक्षर करके मन निरीक्षक के हवाले किये और स्वतंत्र गवाह श्री नीतीश सिंगला द्वारा शिकायतकर्ता से पूछताछ करके व तसदीक करके हालात से सन्तुष्ट हुए । शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए नोटों की सूचि नोट व इन्वेंटरी अलग से तैयार की गई जिस पर शिकायतकर्ता व गवाहों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए । इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए असल नम्बरी नोटों पर मैंने बुश से फिनाईल पैथालीन पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता हरपाल सिंह की जामा तलाशी विधि अनुसार लेकर हवाले शिकायतकर्ता हरपाल सिंह के किए गए ताकि वह आरोपी सुरेश पटवारी के मांगने पर उसे देने बारे हिदायत दी गई व श्री सुनील कुमार, छाया गवाह को हिदायत दी गई वह शिकायतकर्ता के आसपास रहकर उसकी व आरोपी सुरेश पटवारी की बातचीत को सुने व आरोपी द्वारा रिश्तत राशि की मांगने पर शिकायतकर्ता से रिश्तत की राशि लेने के बाद अपने दोनों हाथ सिर पर फेर इशारा करे । जो फर्द मकबूजगी करंसी नोट, जामा तलाशी, हवालगी करंसी नोट तथा नियुक्त छाया गवाह तैयार की गई जिस पर शिकायतकर्ता हरपाल सिंह व गवाहों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए । मन निरीक्षक द्वारा अपने व अपनी रेडिंग पार्टी के हाथ साबून से धुलवाये गये जो शिकायतकर्ता हरपाल सिंह द्वारा पेश की गई दरखास्त के सार से अपराध धाराधीन 7 पी०सी०एक्ट 1988 को होना पाया जाने पर तहरीर लिखी जाकर तहरीर अभियोग अंकित करवाने के लिए ई०एच०सी० बलविन्द्र सिंह नं० 851/ कुरुक्षेत्र को थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, से० 17 पंचकूला भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट अभियोग उपरोक्त स्पेशल मसैनजर व ईमेल के माध्यम से स्पेशल मैजिस्ट्रेट, पंचकूला की सेवा में व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावे । अभियोग की प्रति व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी व शिकायतकर्ता, रेडिंग किट सहित रेड की कार्यवाही के लिए रवाना मौका का होता हूँ ।

अज- मुख्यालय भ०नि०ब्यूरो, पंचकूला ।

SD वरिन्द्र कुमार

निरीक्षक वरिन्द्र कुमार,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

सैक्टर-17, पंचकूला

दिनांक 27.05.2025

समय 5.15 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न० 06 दिनांक 27.05.2025 धारा 7 पी०सी०एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजिस्ट्रेट साहब, पंचकूला, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त ई०एच०सी० बलविन्द्र सिंह नं० 851/ कुरुक्षेत्र के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

VARINDER KUMAR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 15 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manisha Choudhary

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)